UPMO320000542025

मोटर वाहन दुर्घटना दावा अधिकरण, मुरादाबाद।

उपस्थित– संजय कुमार–II एच0जे0एस0,

मोटर वाहन दुर्घटना प्रतिकर याचिका सं0–194/2025

राज कुमार पुत्र श्री सेवाराम, आयु 39 वर्ष, निवासी–ग्राम अख्तयारपुर तगा, थाना नखासा, जिला सम्भल .... याची।

बनाम

1. सचिन कुमार पुत्र श्री ओम प्रकाश, निवासी–नवाबपुरा, थाना नखासा, जिला सम्भल (वाहन स्वामी),
2. दि न्यू इंडिया एश्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड, द्वारा मण्डलीय प्रबन्धक, मण्डलीय कार्यालय, मुरादाबाद,
3. विकास सैनी पुत्र प्रीतम सिंह, निवासी–बदई वाली बस्ती लोधी सराय, थाना नखासा, जिला सम्भल(वाहन चालक) ....विपक्षीगण।

–: **निर्णय** :–

याची राजकुमार की ओर से प्रस्तुत मोटरदुर्घटना प्रतिकर याचिका मोटर दुर्घटना में स्वंय के घायल होने पर कुल प्रतिकर अंकन 27,50,000/–रूपये मय ब्याज प्राप्त करने हेतु धारा–166 एम0वी0 एक्ट 1988 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है।

याची का याचिका में मुख्य कथन यह है कि दिनांक 05.03.2025 को याची राजकुमार मोटर साईकिल सं0–यू.पी.–38जे./4169 को सडक के बांयी ओर धीमी गति से चलाते हुए असमोली से अपने गॉव अख्तयारपुर तगा जा रहा था, जब वह सम्भल–जोया रोड पर गॉव नगला में स्थित दरगाह के पास पहुॅचा, तभी कार सं0–यू.पी.–38क्यू./8301 का चालक अपनी कार को बहुत तेजी व लापरवाही से बिना हॉर्न बजाए सामने से आया और याची की मोटरसाईकिल में टक्कर मार दी, जिससे याची गम्भीर रूप से घायल हो गया। घायलावस्था में याची को जिला अस्पताल सम्भल में भर्ती कराया, उसके बाद डा0 बदरूल हसन खॉ (अलीगढ ट्रामा सेन्टर) सम्भल तथा उसके बाद डा0 राकेश खरे अस्पताल(आर.आर. हैल्थ केयर) दिल्ली रोड मुरादाबाद में भर्ती कराया, उसके बाद अन्य प्राईवेट अस्पतालो में लगातार इलाज चला। दुर्घटना के सम्बन्ध में स्थानीय थाना–असमोली, जनपद सम्भल पर मु0अ0सं0–70/2025 अन्तर्गत

धारा–281, 125(ए), 324(4) बी.एन.एस. कायम किया गया। दुर्घटना में आयीं चोटो के कारण याची जीवनभर के लिए स्थाई रूप से विकलांग हो गया। उक्त दुर्घटना कार सं0–यू.पी.–38क्यू. / 8301 के चालक की तेजी व लापरवाही के कारण हुई थी, उसमें याची / घायल की कोई गलती नहीं थी। दुर्घटना के समय याची राजकुमार की आयु 39वर्ष थी तथा वह मजदूरी व खेती का कार्य करके, लगभग अंकन 18,000 / –रूपये प्रतिमाह कमा लेता था। अतः याची को मोटर दुर्घटना में घायल होने के कारण प्रतिकर की मद में 27,50,000 / –रूपये मय ब्याज विपक्षीगण से दिलाया जाये।

याचीगण की ओर से दुर्घटना कारित करने वाली कार सं0–यू.पी. –38क्यू. / 8301 के स्वामी को विपक्षी सं0–1, बीमा कम्पनी को विपक्षी सं0–2 तथा वाहन चालक को विपक्षी सं0–3 के रूप में पक्षकार बनाया गया है।

विपक्षी सं0–1 व 3 की ओर से प्रतिवादपत्र कागज सं0–18क दाखिल किया गया है, जिसमें याचिका में किये गये कथनो को अस्वीकार करते हुए कथन किया है कि दुर्घटना के समय उत्तरदाता विपक्षी सं0–1 की कार के समस्त पेपर वैध एवं प्रभावी थे। उत्तरदाता विपक्षी सं0–1 कार सं0–यू.पी.–38क्यू. / 8301 का स्वामी है तथा उत्तरदाता विपक्षी सं0–3 कार चालक है। उत्तरदाता विपक्षी की प्रश्नगत कार सं0–यू.पी.–38क्यू. / 8301 से कोई दुर्घटना कारित नहीं हुई। अतः याची द्वारा प्रस्तुत प्रतिकर याचिका उत्तरदाता विपक्षीगण के विरूद्ध खारिज की जाये।

विपक्षी सं0–2 बीमा कम्पनी की ओर से प्रतिवादपत्र कागज सं0–19क दाखिल किया गया है, जिसमें याचिका में किये गये कथनो को अस्वीकार करते हुए कथन किया है कि याची द्वारा याचिका में अपनी आयु व आय गलत रूप से अंकित की गयी है। कथित दुर्घटना की एफ.आई. आर. लगभग 18 दिनो के विलम्ब से दर्ज कराई गयी है। एफ.आई.आर. अज्ञात चालक के विरूद्ध लिखाई है। कथित दुर्घटना याची की स्वंय की लापरवाही के कारण घटित हुई है। दुर्घटना के समय याची / घायल के पास वैध एवं प्रभावी डी0एल0 नहीं था। याची द्वारा दुर्घटना में संलिप्त मोटरसाईकिल की बीमा कम्पनी व स्वामी को याचिका में पक्षकार नहीं बनाया गया है, इसलिए याचिका में आवश्यक पक्षकार न बनाये जाने का दोष है। उक्त दुर्घटना में दो वाहनो में टक्कर आमने सामने की है। याची की ओर से कोई विकलांगता प्रमाणपत्र दाखिल नहीं किया गया है। दुर्घटना के समय प्रश्नगत वाहन बीमा पॉलिसी की शर्तो के उल्लंघन में

चलाया जा रहा था। अतः याची की याचिका उत्तरदाता विपक्षी बीमा कम्पनी के विरूद्ध खारिज की जाये।

उभय पक्षो के अभिवचनो के आधार पर दिनांक 05.08.2025 को निम्नलिखित वाद बिन्दु विरचित किये गये हैंः–

1- Whether the alleged accident took place on dated 05-08-2025at about 06:45 P.M. in the evening , on Sambhal-Joya road near Dargah at village Nagla, within the circle of P.S. Asmoli] Distt. Sambhal, due to rash and negligent driving by the driver of offending Vehicle/Car No.U.P.38Q./8301 who by driving his vehicle in rash and negligent manner without blowing any horn came from opposite direction, had hit and collided against the Motor Cycle No. U.P.-38J./4169 of petitioner/injured RajKumar, from wrong side, when he was going to his village Akhtyarpur Taga from Asmoli, boarding on this motorcycle, due to collusion petitioner/injured sustained grievous injuries and fracture on his body and he was admitted in R.R. Health Care Hospital, Moradabad, for treatment?

2- Whether on the time of alleged accident, driver of offending vehicle/Car No.U.P.38Q./8301, was holding valid and effective Driving License?

3- Whether on the date and time of alleged accident, offending vehicle/Car No.U.P.38Q./8301, was insured with O.P. No. 2 The New India Assurance Company Limited?

4- Whether the petition is bad for non joinder of owner, driver & insurance company of Motor CycleNo.U.P.-38J.4169 of petitioner/injured Raj Kumar, involved in the accident?

5- Whether the accident took place due to contributory negligence of drivers of both the vehicle i.e. Motor-Cycle,involved in the accident?

6- Whether the petitioner is entitled to get any amount of compensation, then how much and from whom?

याची की ओर से मौखिक साक्ष्य में याची राजकुमार ने स्वंय को पी0डब्लू0–1 के रूप में परीक्षित कराया गया है।

विपक्षीगण की ओर से मौखिक साक्ष्य में किसी साक्षी को परीक्षित नहीं कराया गया है।

याची की ओर से दस्तावेजी साक्ष्य में सूची कागज सं0—8ग से चिक एफ0आई0आर0, कार का विवरण, याची के इलाज का पर्चा, याची के आधार कार्ड की फोटो प्रति कागज सं0—9ग ता 12ग, सूची कागज सं0—14ग आर.सी., बीमा पॉलिसी, कार0 के स्वामी व चालक के आधार कार्ड, थाना असमोली की जॉच रिपोर्ट की फोटो प्रति कागज सं0—15ग/1—5, सूची कागज सं0—30ग/1—11 से चिक एफ.आई.आर., आरोपपत्र, नक्शा नजरी की प्रमाणित प्रति कागज सं0—31ग/1—11 तथा याची के इलाज के पर्चे, बिल व एक्स—रे तथा अल्ट्रासाउन्ड की प्रति कागज सं0—31ग/12—169 दाखिल किये गये हैं।

विपक्षी सं0—1 की ओर से दस्तावेजी साक्ष्य में कार की आर.सी., डी0एल0, बीमा पॉलिसी, आधार कार्ड की फोटो प्रति कागज सं0—19ग/1—5 दाखिल किये गये है।

विपक्षी सं0—2 बीमा कम्पनी की ओर से सूची कागज सं0—23ग से बिलो की जॉच की सत्यापन आख्या कागज सं0—24ग/1—4 तथा सूची कागज सं0—26ग से दोनो वाहनो की तकनीकी निरीक्षण रिपोर्ट की फोटो प्रति कागज सं0—27ग/1—2 दाखिल की गई है।

याची के विद्वान अधिवक्ता द्वारा बहस करते हुए तर्क प्रस्तुत किया गया है कि दिनांक 05.03.2025 को याची राजकुमार मोटर साईकिल सं0—यू.पी.—38जे./4169 को असमोली से अपने गॉव अख्तयारपुर तगा जा रहा था, जब वह सम्भल—जोया रोड पर गॉव नगला में स्थित दरगाह के पास पहुॅचा, तभी कार सं0—यू.पी.—38क्यू./8301 का चालक अपनी कार को तेजी व लापरवाही से सामने से आया और याची की मोटरसाईकिल में टक्कर मार दी, जिससे याची गम्भीर रूप से घायल हो गया। घायलावस्था में याची को जिला अस्पताल सम्भल में भर्ती कराया, उसके बाद डा0 बदरूल हसन खॉ (अलीगढ ट्रामा सेन्टर) सम्भल तथा उसके बाद डा0 राकेश खरे अस्पताल (आर.आर. हैल्थ केयर) मुरादाबाद में इलाज चला। याची द्वारा अपने इलाज के अंकन 2,61,676/—रूपये के बिल दाखिल किये गये हैं। विपक्षी बीमा कम्पनी द्वारा मेडिकल बिल की सत्यापित रिपोर्ट जो अंकन 2,28,656/—रूपये की दाखिल की गई है, उक्त रिपोर्ट सही नहीं है, क्योकि उसमें कई बिल की धनराशि जोडी नहीं गई है। अत : याची को स्वयं के मोटरदुर्घटना में घायल होने पर विपक्षीगण से प्रतिकर की मद में समुचित धनराशि दिलायी जाये।

विपक्षी बीमा कम्पनी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा बहस करते हुए तर्क प्रस्तुत किया गया है कि दुर्घटना दोनो वाहनो की आमने सामने की

हुई थी, जिससे स्पष्ट है कि कथित दुर्घटना में याची की भी सहदायी लापरवाही रही थी। दूसरे, याची द्वारा जो अपने मेडिकल बिल पत्रावली पर दाखिल किये गये हैं, उनमें से अंकन 2,28,656/—रूपये के ही बिल सत्यापित हुए हैं। अतः याची द्वारा प्रस्तुत प्रतिकर याचिका विपक्षी बीमा कम्पनी के विरूद्ध खारिज की जाये।'

मैने उभय पक्षो के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध समस्त मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य का सम्यक परिशीलन किया।

—: **निष्कर्ष** :—

वाद बिन्दु सं0—1 व 5 का निस्तारण :—

वाद बिन्दु सं0—1 व 5 की प्रकृति को देखते हुए वाद बिन्दु सं0—1 व 5 का निस्तारण एक साथ किया जाना सुविधाजनक होगा।

वाद बिन्दु सं0—1 इस प्रकार है कि ''Whether the alleged accident took place on dated 05-08-2025at about 06:45 P.M. in the evening , on Sambhal-Joya road near Dargah at village Nagla, within the circle of P.S. Asmoli] Distt. Sambhal, due to rash and negligent driving by the driver of offending Vehicle/Car No.U.P.38Q./8301 who by driving his vehicle in rash and negligent manner without blowing any horn came from opposite direction, had hit and collided against the Motor Cycle No. U.P.-38J./4169 of petitioner/injured RajKumar, from wrong side, when he was going to his village Akhtyarpur Taga from Asmoli, boarding on this motorcycle, due to collusion petitioner/injured sustained grievous injuries and fracture on his body and he was admitted in R.R. Health Care Hospital, Moradabad, for treatment?''

वाद बिन्दु सं0—5 इस प्रकार है कि ''Whether the accident took place due to contributory negligence of drivers of both the vehicle i.e. Motor-Cycle,involved in the accident?''

इस सम्बन्ध में याची राजकुमार पी0डब्लू—1 ने अपनी मुख्य परीक्षा में याचिका में किये गये कथनो का समर्थन करते हुए कथन किया है कि दुर्घटना दिनांक 05.03.2025 को समय करीब 6:45 बजे शाम की है। दिनांक 05.03.2025 को मैं असमोली से अपने गॉव अख्तयारपुर तगा मोटर साईकिल सं0—यू.पी.—38जे./4169 से सडक के किनारे अपनी बांयी साईड में चलाते हुए जा रहा था, जब मैं सम्भल—जोया रोड पर ग्राम नगला में दरगाह के पास पहुॅचा, तभी सामने से सम्भल की तरफ से एक कार

सं0–यू.पी.–38क्यू./8301 का चालक अपनी कार को तेजी व लापरवाही से चलाकर बिना हॉर्न बजाए लाया और मेरी मोटरसाईकिल में टक्कर मार दी। टक्कर लगने से मेरे शरीर में गम्भीर चोटें आई तथा मेरी मोटर साईकिल भी क्षतिग्रस्त हो गयी। उक्त दुर्घटना में कार की टक्कर लगने से मेरे दाहिने हाथ में फ्रैक्चर हो गया तथा बायें हाथ में कोहनी व पसलियों में फ्रैक्चर हो गया, जिनका आप्रेशन कराया गया, सिर में चोट लगी तथा टॉके लगाये गये, दाहिने कन्धे पर चोट लगी, पीछे दाहिनी तरफ चोट लगी, दोनो टॉगो में चोट लगी। दुर्घटना के बाद गम्भीर रूप से घायलावस्था में मुझे इलाज हेतु जिला संयुक्त चिकित्सालय, सम्भल में भर्ती कराया गया, जहॉ पर मेरा शारीरिक परीक्षण किया गया तथा प्राथमिक उपचार करने के बाद मेरी हालत को गम्भीर देखते हुए बेहतर इलाज के लिए रैफर कर दिया गया, उसके बाद मेरे परिवार वालो ने मेरा इलाज डा0 बदरूल हसन खान सम्भल में कराया, उसके बाद मेरे परिवार वालो ने मुझे आर.आर. हैल्थ केयर डा0 राकेश खरे अस्पताल दिल्ली रोड मुरादाबाद में भर्ती कराया, जहॉ पर मैं दिनांक 12.03.2025 से दिनांक 25.03.2025 तक लगातार भर्ती रहा था। यह दुर्घटना पूर्णतः कार सं0–यू.पी.–38क्यू./8301 के चालक द्वारा अपनी कार को तेजी व लापरवाही से चलाकर मेरी मोटरसाईकिल में टक्कर मारने के कारण घटी थी, जिसमें मेरी कोई भी गलती नहीं थी। उक्त कार चालक ने घटना को टालने का प्रयास नहीं किया, यदि वह चाहता, तो दुर्घटना को टाला जा सकता था। उक्त दुर्घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट मेरी पत्नी श्रीमती आशा ने थाना असमोली, जिला सम्भल में लिखाई थी।

पी0डब्लू0–1 राज कुमार ने अपनी जिरह में कथन किया है कि इस दुर्घटना में मुझे गम्भीर चोटें आयीं हैं। मेरी विकलांगता का कोई प्रमाणपत्र नहीं बना है। मेरे बांये हाथ में फ्रैक्चर हुआ था, मेरी पसली भी टूट गयी थी तथा सिर में टॉके लगे थे। इस समय मैं सोचने व समझने की शक्ति है। दुर्घटना की एफ.आई.आर. कुछ दिन बाद मेरी पत्नी ने लिखाई थी क्योकि मैं अस्पताल में भर्ती था। दुर्घटना वाले दिन मैं असमोली होते हुए अपने गॉव जा रहा था। मैं अपनी मोटरसाईकिल सं0–यू.पी.–38जे./4169 से जा रहा था। मोटरसाईकिल मेरे भाई राजू के नाम पंजीकृत है। मुझे कार ने टक्कर मारी थी। कार सम्भल की ओर से तेजी व लापरवाही से आ रही थी। टक्कर सामने से आकर मारी थी। सबसे पहले सरकारी अस्पताल सम्भल में भर्ती कराया था, जिसकी रैफर स्लिप पत्रावली पर दाखिल की है, उसके बाद डा0 बदरूल हसन खान,

सम्भल के यहॉ ले जाया गया। मैनें इलाज के सारे बिल व पर्चे दाखिल कर दिये हैं, जो करीब तीन लाख रूपये के हैं, उसके बाद मेरा इलाज डा0 खरे के यहॉ चला और अब भी चल रहा है।

पत्रावली पर चिक एफ.आई.आर. की प्रमाणित प्रति कागज सं0–31ग/1–4 दाखिल है, जिसके अवलोकन से विदित होता है कि दुर्घटना के बाद दिनांक 23.03.2025 को याची की पत्नी श्रीमती आशा द्वारा स्थानीय थाना असमोली, जनपद सम्भल पर इन कथनो के साथ लिखित तहरीर दी गयी कि दिनांक 05.03.2025 की शाम करीब 6:45 बजे को मेरे पति राजकुमार, ग्राम असमोली से अपने गॉव को अपनी मोटर साईकिल सं0–यू.पी.–38जे./4169 से जा रहे थे, मेरे पति जैसे ही ग्राम नगला में दरगाह के पास पहुॅचे, तभी सामने से सम्भल की तरफ से आ रही कार सं0–यू.पी.–38क्यू./8301 के चालक नाम पता अज्ञात ने तेजी व लापरवाही से चलाते हुए मेरे पति की मोटरसाईकिल में टक्कर मार दी, जिससे वह घायल हो गये, जिसमें मैंने व परिवार वालो ने राजकुमार को डा0 राकेश खरे के आर.आर. हैल्थ केयर अस्पताल मुरादाबाद में इलाज हेतु भर्ती कर दिया, जिनका इलाज चल रहा है तथा मोटरसाईकिल भी क्षतिग्रस्त हो गयी। मैं आज तक अपने पति राजकुमार का इलाज करवा रही थी, इसलिए थाने सूचना देने नहीं आ सकी।

उपरोक्त तहरीर पर स्थानीय थाना असमोली, जनपद सम्भल पर मु0अ0सं0–70/2025 अन्तर्गत धारा–281, 125(ए), 324(4) भारतीय न्याय संहिता. कायम किया गया, जिसमें विवेचक द्वारा विवेचना के पश्चात् कार सं0–यू.पी.–38क्यू./8301 के चालक विकास सैनी के विरूद्ध धारा–281, 125(ए), 324(4) बी.एन.एस. के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध के लिए आरोपपत्र दाखिल किया गया, जैसा कि आरोपपत्र की प्रमाणित प्रति कागज सं0–31ग/5–9 के अवलोकन से विदित होता है।

पत्रावली पर जिला संयुक्त चिकित्सालय सम्भल की रैफर स्लिप की नकल कागज सं0–31ग/12 दाखिल है, जिसके अवलोकन से विदित होता है कि याची राज कुमार को जिला संयुक्त चिकित्सालय सम्भल में दिनांक 05.03.2025 के बाद समय 8:45 पी.एम. पर भर्ती किया गया था तथा उसका केस सडक यातायात दुर्घटना का होना अंकित किया गया था तथा उसे जिला अस्पताल मुरादाबाद के लिए रैफर कर दिया गया।

पत्रावली पर याची के महफूज क्लीनिक सम्भल तथा आर.आर. हैल्थ केयर मुरादाबाद में याची के हुए इलाज के पर्चे व बिल दाखिल हैं।

यह सही है कि दुर्घटना दोनो वाहनो के आमने सामने की हुई थी, जैसा कि याची ने भी अपनी साक्ष्य में स्वीकार किया है तथा विपक्षी बीमा कम्पनी द्वारा दाखिल दोनो वाहनो की तकनीकी निरीक्षण रिपोर्ट की फोटो प्रति कागज सं0–27ग/1–2 से विदित होता है, परन्तु विवेचक द्वारा दुर्घटना स्थल का जो नक्शा नजरी तैयार किया गया है, उसके अवलोकन से स्पष्ट है कि दुर्घटना कारित करने वाली कार के चालक द्वारा पूर्णतः गलत साईड में जाकर याची की मोटरसाईकिल में टक्कर मारी थी, इसलिए कथित दुर्घटना में याची की कोई सहदायी लापरवाही होना नहीं कहा जा सकता है।

याची द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के विरूद्ध विपक्षीगण की ओर से कोई साक्ष्य दाखिल नहीं की गयी है।

अतः पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य से यह स्पष्ट हो जाता है कि दिनांक 05.03.2025 को शाम लगभग 6:45 बजे जब याची राजकुमार अपनी मोटरसाईकिल सं0–यू.पी.–38जे./4169 से असमोली से अपने गॉव अख्तयारपुर तगा जा रहा था, जैसे ही वह सम्भल–जोया रोड पर ग्राम नगला में स्थित दरगाह के पास पहुॅचा, तभी सामने ने सम्भल की तरफ से कार सं0–यू.पी.–38क्यू./8301 के चालक ने अपनी कार को तेजी व लापरवाही से चलाते हुए गलत साईड में जाकर याची राजकुमार की मोटर साईकिल में टक्कर मार दी, जिससे याची राजकुमार को गम्भीर चोटें आयीं तथा उक्त दुर्घटना में याची राजकुमार की कोई सहदायी लापरवाही नहीं थी।

अतः वाद बिन्दु सं0–1 व 5 तद्नुसार निर्णीत किये जाते हैं।

वाद बिन्दु सं0–2 व 3 का निस्तारण :–

वाद बिन्दु सं0–2 व 3 की प्रकृति को देखते हुए वाद बिन्दु सं0–2 व 3 का निस्तारण एक साथ किया जाना सुविधाजनक होगा।

वाद बिन्दु सं0–2 इस प्रकार है कि ''Whether on the time of alleged accident, driver of offending vehicle/Car No.U.P.38Q./8301, was holding valid and effective Driving License? ''

वाद बिन्दु सं0–3 इस प्रकार है कि ''Whether on the date and time of alleged accident, offending vehicle/Car No.U.P.38Q./8301, was insured with O.P. No. 2 The New India Assurance Company Limited?''

दुर्घटना से सम्बन्धित मुकदमें में प्रश्नगत कार सं0–यू.पी.–38क्यू./8301 के चालक विकास सैनी (विपक्षी सं0–3) के विरूद्ध आरोपपत्र दाखिल किया गया है।

पत्रावली पर प्रश्नगत कार सं0–यू.पी.–38क्यू. / 8301 के चालक विकास सैनी पुत्र प्रीतम सिंह (विपक्षी सं0–3) के डी0एल0 की फोटो प्रति कागज सं0–19ग / 2 दाखिल की गई है, जिसके अवलोकन से विदित होता है कि विकास सैनी को आर0टी0ओ0 सम्भल द्वारा मोटरसाईकिल व हल्के मोटर वाहन चलाने के लिए दिनांक 13.08.2014 डी0एल0 जारी किया गया है, जो दिनांक 12.08.2034 तक वैध है।

पत्रावली पर प्रश्नगत कार सं0–यू.पी.–38क्यू. / 8301 की आर.सी. की फोटो प्रति कागज सं0–19ग / 1 दाखिल की गई है, जिसके अवलोकन से विदित होता है कि विपक्षी सं0–1 सचिन कुमार उक्त कार का पंजीकृत स्वामी है।

पत्रावली पर प्रश्नगत कार सं0–यू.पी.–38क्यू. / 8301 की बीमा पॉलिसी की फोटो प्रति कागज सं0–19ग / 3 दाखिल है, जिसके अवलोकन से विदित होता है कि कार सं0–यू.पी.–38क्यू. / 8301 विपक्षी सं0–2 दि न्यू इंडिया एश्योरेन्स कम्पनी के यहॉ दिनांक 26.10.2024 से दिनांक 25.10.2025 तक बीमित है।

दुर्घटना दिनांक 05.03.2025 की है।

स्पष्ट है कि दुर्घटना की तिथि पर प्रश्नगत कार सं0–यू.पी.–38क्यू. / 8301 के चालक के पास वैध डी0एल0 मौजूद था तथा उक्त कार विपक्षी सं0–2 दि न्यू इंडिया एश्योरेन्स कम्पनी के यहॉ वैध रूप से बीमित थी।

अतः वाद बिन्दुसं0–2 व 3 तद्‌नुसार निर्णीत किये जाते हैं।

<u>वाद बिन्दु सं0–4 का निस्तारण</u> :–

वाद बिन्दु सं0–4 इस प्रकार है कि ''Whether the petition is bad for non joinder of owner, driver & insurance company of Motor CycleNo.U.P.-38J.4169 of petitioner/injured Raj Kumar, involved in the accident?''

वाद बिन्दु सं0–1 में मोटरसाईकिल चालक / याची की कोई सहदायी लापरवाही नहीं पायी गई है। अतः मोटरसाईकिल सं0–यू.पी.–38जे. / 4169 स्वामी व उसकी बीमा कम्पनी को याचिका में पक्षकार बनाये जाने की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती है।

अतः वाद बिन्दु सं0–4 तद्‌नुसार निर्णीत किया जाता है।

<u>वाद बिन्दु सं0–6 का निस्तारण</u> :–

वाद बिन्दु सं0–6 इस प्रकार है कि ''Whether the petitioner is entitled to get any amount of compensation, then how much and from whom?''

वाद बिन्दु सं0–1 के विवेचन में यह निष्कर्ष व्यक्त किया गया है कि दिनांक 05.03.2025 को शाम लगभग 6:45 बजे जब याची राजकुमार अपनी मोटरसाईकिल सं0–यू.पी.–38जे./4169 से असमोली से अपने गॉव अख्तयारपुर तगा जा रहा था, जैसे ही वह सम्भल–जोया रोड पर ग्राम नगला में स्थित दरगाह के पास पहुॅचा, तभी सामने ने सम्भल की तरफ से कार सं0–यू.पी.–38क्यू./8301 के चालक ने अपनी कार को तेजी व लापरवाही से चलाते हुए गलत साईड में जाकर याची राजकुमार की मोटर साईकिल में टक्कर मार दी, जिससे याची राजकुमार को गम्भीर चोटें आयीं।

उक्त दुर्घटना में याची राजकुमार की कोई सहदायी लापरवाही नहीं पायी गयी है।

याची राजकुमार द्वारा पत्रावली पर अपने इलाज के पर्चे व बिल अंकन 2,61,674/–रूपये के दाखिल किये गये हैं, जबकि विपक्षी बीमा कम्पनी की ओर से याची राजकुमार के इलाज के बिल की सत्यापन आख्या कागज सं0–24ग/1–4 दाखिल की गई है, जिसमें याची के मेडिकल बिल अंकन 2,28,676/–रूपये(दो लाख, अट्ठाईस हजार, छः सौ छियत्तर रूपये मात्र) के सत्यापित होना बताया गया है।

मेरे द्वारा याची द्वारा दाखिल मेडिकल बिल तथा विपक्षी बीमा कम्पनी द्वारा दाखिल मेडिकल बिलो की सत्यापन आख्या का सावधानी पूर्वक अवलोकन किया गया, जिस पर याची के मेडिकल बिल अंकन 2,59,327/–रूपये (दो लाख, उनसठ हजार, तीन सौ सत्ताईस रूपये मात्र) के बिल सहीं पाये गये हैं।

अतः याची दुर्घटना में घायल होने पर अपने इलाज की मद में अंकन 2,59,327/–रूपये (दो लाख, उनसठ हजार, तीन सौ सत्ताईस रूपये मात्र) प्राप्त करने का अधिकारी है।

कथित दुर्घटना में याची गम्भीर रूप से घायल हुआ है। याची का काफी समय तक इलाज चला तथा याची को कई बार विभिन्न अस्पतालो में भी आना जाना पडा। याची को उसके इलाज के चलते एक परिचायक/सहायक की भी आवश्यकता रहीं होगी तथा याची को इलाज के दौरान विशेष पुष्ट आहार भी लेना पडा होगा। याची को उसकी दुर्घटना के परिणामस्वरूप मानसिक पीडा व सन्ताप भी सहन करना पडा।

अतः कथित दुर्घटना के कारण याची तौसीफ को उसके इलाज की मद में अंकन 2,59,327/–रूपये (दो लाख, उनसठ हजार, तीन सौ सत्ताईस रूपये मात्र), पौष्टिक आहार की मद में 10,000/–रूपये (दस

हजार रूपये मात्र), परिचारक/सहायक की मद में 10,000/–रूपये (दस हजार रूपये मात्र), अस्पताल में आने जाने की मद में अंकन 10,000/–रूपये (दस हजार रूपये मात्र), मानसिक पीडा व सन्ताप की मद में अंकन 20,000/–रूपये (बीस हजार रूपये मात्र) अर्थात् कुल अंकन 2,59,327 + 50,000 = **3,09,327**/–रूपये (तीन लाख, नौ हजार, तीन सौ सत्ताईस रूपये मात्र) दिलाया जाना पूर्णतः न्यायोचित व विधि सम्मत होगा।

अतः उपरोक्त विवेचन के आलोक में याची मोटर दुर्घटना में घायल होने पर प्रतिकर की धनराशि अंकन 3,09,327/–रूपये (तीन लाख, नौ हजार, तीन सौ सत्ताईस रूपये मात्र) की धनराशि बतौर प्रतिकर प्राप्त करने का अधिकारी है।

उक्त प्रतिकर की धनराशि अंकन 3,09,327/–रूपये (तीन लाख, नौ हजार, तीन सौ सत्ताईस रूपये मात्र) पर याची याचिका योजित करने की तिथि से वास्तविक भुगतान की तिथि तक 07 प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज की दर से ब्याज भी देय होगा।

जहॉ तक यह प्रश्न कि उपरोक्त प्रतिकर की धनराशि किस पक्षकार द्वारा देय होगी, तो इस सम्बन्ध में मेरा विचार है कि कथित दुर्घटना कार सं0–यू0पी.–38क्यू./8301 के चालक द्वारा अपने वाहन को तेजी व लापरवाही से चलाये जाने के कारण हुई थी।

दुर्घटना की तिथि 05.03.2025 पर उक्त वाहन कार सं0–यू0पी.–38क्यू./8301 विपक्षी सं0–2 दि न्यू इंडिया एश्योरेन्स कम्पनी के यहॉ पूर्ण रूप से बीमित थी तथा कार सं0–यू0पी.–38क्यू./8301 के चालक विकास सैनी के पास उक्त वाहन को चलाने का वैध डी0एल0 उपलब्ध था।

ऐसी दशा में प्रतिकर की धनराशि की अदायगी का दायित्व विपक्षी सं0–2 बीमा कम्पनी का होगा।

अतः याची की प्रतिकर याचिका तद्नुसार स्वीकृत किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

याची की प्रतिकर याचिका अंकन 3,09,327/–रूपये (तीन लाख, नौ हजार, तीन सौ सत्ताईस रूपये मात्र) के लिए मय ब्याज स्वीकृत की जाती है।

विपक्षी सं0–2 बीमा कम्पनी को आदेशित किया जाता है कि वह अवार्ड पारित होने के 60 दिन के अन्दर सम्पूर्ण प्रतिकर की धनराशि

अंकन 3,09,327 / –रूपये (तीन लाख, नौ हजार, तीन सौ सत्ताईस रूपये मात्र) मय 07 प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज की दर से याचिका योजित करने की तिथि 03.04.2025 से वास्तविक भुगतान की तिथि तक इंडियन बैंक के अधिकरण के खाता सं0–50499142149 आई0एफ0सी0 कोड सं0–आई0डी0आई0 बी0000सी 631 में यू0टी0आर0 / चैक / बैंक ड्रॉफट के माध्यम से जमा करें।

जमा की गयी प्रतिकर की कुल धनराशि अंकन 3,09,327 / –रूपये (तीन लाख, नौ हजार, तीन सौ सत्ताईस रूपये मात्र) मय समस्त ब्याज NEFT/RTGS के माध्यम से याची राज कुमार को नकद दिये जायेगें।

दिनांकः–31.07.2026

(संजय कुमार–II)
पीठासीन अधिकारी,
मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण,
मुरादाबाद।
जे0ओ0 कोड–5767

निर्णय आज खुले न्यायालय में मेरे द्वारा हस्ताक्षरित व दिनांकित करके सुनाया गया।

दिनांकः–31.07.2026

(संजय कुमार–II)
पीठासीन अधिकारी,
मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण,
मुरादाबाद।
जे0ओ0 कोड–5767

Sanjay Kumar

Digitally signed by Sanjay Kumar
DN: C=IN, CN=Sanjay Kumar, O=Personal, ST=Uttar Pradesh, postalCode=247772, serialNumber=bd5d3e275d866b940553d0f5ffafd445be2286837a3572cd50c5529ce31068ca
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2026.07.31 17:23:41+05'30'
Foxit PDF Reader Version: 2025.3.0